



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022023-243728
CG-DL-E-18022023-243728

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 738]
No. 738]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2023

का.आ. 770(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, कलेक्टर ऑफिस ठीकरी, बड़वानी (NH347-B) के कि.मी. 0 से 18.95 मध्य प्रदेश राज्य के तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH347-B पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	मध्य प्रदेश	बड़वानी	ठीकरी	1 खेड़ी

	अधिकारी राजपुर तहसील-ठीकरी, जिला-बड़वानी (म.प्र.)	NH347-B के कि.मी. 0 से 18.95 तक			
--	--	--	--	--	--

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/06/2017-18]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023

S.O. 770(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 0 to 18.95 of Collectrate office Thikri, Barwani (NH347-B) in the State of MADHYA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH347-B in the State of MADHYA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal
1	2	3	4	5	6
1	Sub Divisional officer (Revenue) & Land Acquisition Officer Rajpur, Tehsil-Thikri District-Barwani (Madhya Pradesh)	0KM To 18.95KM	MADHYA PRADESH	BARWANI	Thikri 1 Khedi

[F. No CE-RO BPL/30010/06/2017-18]

RAJESH GUPTA, Director